विविध

विषय सूची			
क्रं.सं.	विषय	शासनादेष संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 254/3(150)–2017/xxvii(7)40(9) 2010–11/2019 दिनांक : 29 मार्च, 2019	603–612
2	कार्य नियमावली, 1975 के नियम–4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	सं0 34/xxvii(7)40(9)2010–11/2019 दिनांक : 25 जनवरी, 2019	613–614
3	विभागों में विद्यामान रिक्त पदों को भरे जाने विषयक अधियाचन के सम्बन्ध में।	सं0 320/50(54)/xxvii(7)/2018टी.सी. दिनांक : 12 दिसम्बर, 2018	615
4	उत्तराखण्ड माल और कर अधिनियम, 2017(2017 का 6) की धारा–51 के प्राविधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने के फलस्वरूप आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रकिया विषयक	सं0 192/XXV11(6)/एक/398/2006 /18 दिनांक : 12 अक्टूबर, 2018	616–618
5	राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।	सं0 181(1)/xxvii(7)/2017 दिनांक : 31 जुलाई, 2018	619
6	विभागों में विद्यमान रिक्त पदों को भरे जाने विषयक अधियाचन के सम्बन्ध में।	सं0 206/50(54)/xxvii(7)/2018टी.सी. दिनांक : 10 जुलाई, 2018	620
7	विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण की वाह्य संस्थाओं के माध्यम से तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण के सम्बन्ध में।	सं0 714/121/रा0यो0आ0–Q-A /2018 दिनांक : 30 मई, 2018	621–623
8	पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं0 41/XXVII (7)50(4)/2017 दिनांक : 12 सितम्बर, 2017	624–625
9	सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में।	सं0 150/XXVII(7)विविध/2017 दिनांक : 18 अगसत, 2017	626
10	सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।	सं0 124/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक : 09 अगस्त, 2017	627–628

11	राजकीय व्यय में मितव्ययिता में परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।	सं0 84/XXVii(7)50(06)/2017 दिनांक : 07 जून, 2017	629–630
12	कैशलेस अर्थव्यवस्था में सहयोग किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 366/XXVii(1)/2017 दिनांक : 13 अप्रैल, 2017	631
13	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को अन्तरिक धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण	सं0 316/ XXVII(1)/2017 दिनांक : 31 मार्च, 2017	632–635
14	बजटीय एवं राजकोषीय सुधार के सम्बन्ध में।	सं0 1380/35(150)/XXVii(1)2016, दिनांक : 29 नवम्बर, 2016	636
15	व्यय वित्त समिति की बैठक ओयाजित होने से पूर्व समिति से संबंधित शासनादेश के बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।	सं0 633/150–रा0यो0आ0/2014–15 टी.सी. दिनांक : 06 जून, 2016	637–644
16	Service Tax WCT एवं अन्य टैक्स के सम्बन्ध में।	सं0 544/XXVii(1)/2016 दिनांक : 19 अप्रैल, 2016	645–646
17	सरकारी भवनों के निर्माण हेतु शासकीय भूमि की अनुपलब्धता की दशा में निजी/गैर सरकार भूमि के क्रय के सम्बन्ध में।	सं0 111/XXVii(7)50(39)–2015/2014 दिनांक : 09 जुलाई, 2015	647–648
18	निःशक्त व्यक्ति (सामन्य अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत, सेवा के दौरान निशःक्त हुये कर्मचारियों के संबंध में की गई व्यवस्था के संबंध में।	सं0 746/XXVii(7)50(64)/2013 दिनांक : 09 जनवरी, 2014	649–650
19	प्रतिनिधानित अधिकारों के संबंध में दिशा निर्देश।	सं0 742/XXVii(7)/50(80)/2013 दिनांक : 09 अक्टूबर, 2013	651–654
20	कार्य नियमावली, 1975 के नियम–4(2) अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	सं0 477/XXVii(1)/2011 दिनांक : 11 अगस्त, 2011	655–656

603

संख्या 254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2019

विषयः–वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की मांगें स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी "विनियोग अधिनियम, 2019" पारित होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासन के व्यय में मित–व्ययता नितान्त आवश्यक है। मित–व्ययता सुनिश्चित करना केवल वित्त विभाग का ही दायित्व नहीं है वरन समस्त प्र0वि0 का भी दायित्व है। धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा, को तभी निर्गत किया जायेगा जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से **वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012** तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाये। **बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा।** विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम वित्त अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी को

604

किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3. सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा सर्वप्रथम आय–व्ययक में प्रावधानित **राज्य आकस्मिकता निधि** से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिपूर्ति ऑनलाइन माध्यम से उसी लेखाशीर्षक/मद से सुनिश्चित की जायेगी, जिससे राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की गयी है। आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने से पूर्व उस लेखाशीर्षक से अन्य कोई धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी। **राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष का होगा।** प्रायः यह संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा सामान्य प्रकृति के प्रकरणों हेतु भी राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जबकि **"राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली"** के प्रावधानानुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन केवल **अप्रत्याशित व्यय** (Unforeseen Expenditure) हेतु ही स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। अतः विभाग अतिमहत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य विषयों पर ही राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करें। सामान्य प्रकृति के प्रकरणों पर नियमित बजट की सीमा के अन्दर ही धनराशि स्वीकृत की जाए।

4. **चालू निर्माण कार्यों** हेतु वित्तीय स्वीकृति प्र0वि0 द्वारा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का परीक्षण करते हुए अपने स्तर से जारी की जायेगी, धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 में वर्णित समय सारणी के आधार पर किया जाये। यदि चालू कार्यो में धनराशि 25 करोड़ से अधिक है तो इस धनराशि को तीन समान किस्तों में अवमुक्त किया जायेगा। द्वितीय किस्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रथम किस्त का 90 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा एवं इसी प्रकार तृतीय किस्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रथम एवं द्वितीय किस्त की संकलित धनराशि का 90 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त ही प्र0वि0 द्वारा धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व प्र0वि0 के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा।

5. **समस्त नये कार्यों** हेतु वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में बहुधा यह देखा गया है कि नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के समय लागत एवं समय वृद्धि (Cost and Time Over run) से बचने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(VI) (2) एवं (3) की अनुपालना नहीं की जाती है जिसके कारण बजट व्यवस्था के सापेक्ष बड़ी मात्रा में कार्य निर्माणाधीन रहते हैं, क्योंकि प्रारम्भ में कार्य विशेष हेतु न्यून अथवा प्रतीक (Token) धनराशि आधार पर कार्य की स्वीकृति दे दी जाती है और तदोपरान्त अगली किश्तों में भी अति न्यून धनराशि अवमुक्त की जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य लम्बे समय तक निर्माणाधीन रहते हैं और उपयोग में नही लाये जा पाते तथा उनमें लागत वृद्धि की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः पूर्व स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य का नियमित एवं सघन अनुश्रवण व समीक्षा की जाय और जो कार्य किन्हीं कारणोंवश प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यों के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर नये सिरे से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र–1, 2 एवं 3 पर भवनों के निर्माण से सम्बन्धित संकलित सूचना भी वित्त अनुभाग–1 एवं सम्बन्धित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग को उपलब्ध करा दी जाए एवं साथ ही नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी इन सूचनाओं को बी0एम0–80 अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति व उच्च अनुमोदन के साथ प्रस्तुत किया जाय। **बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6)** प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिये विभागों को **अनुमानित लागत का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रथम किश्त में, 40 प्रतिशत द्वितीय किश्त में एवं शेष तृतीय किश्त** में प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, लेकिन विभागों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। **अतः प्र0वि0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6) प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के प्रस्ताव तीन चरणों में 40–40–20 प्रतिशत के आधार पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।**

6. निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लिया जायेगा

कि प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में **वित्त विभाग के आदेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 'पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 किया गया है। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारिणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।

7. **चालू कार्यों** में सर्वप्रथम धनराशि उन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जायेगी जहाँ भौतिक एव वित्तीय प्रगति की स्थिति अच्छी हो। उदाहरणार्थ–यदि किसी परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 80 से 90 प्रतिशत के बीच में है तो प्र0वि0 सर्वप्रथम उस परियोजना को पूर्ण करने हेतु धन अवमुक्त करेंगे न कि अन्य किसी ऐसी परियोजनाओं में, जिनकी वित्तीय एव भौतिक प्रगति की स्थिति संतोषजनक न हो।

8. मानक मद–25–**लघु निर्माण कार्य** मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत की धनराशि दिव्यांगजनों के कल्याण व सुगम्यता सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित कार्यों में व्यय किये जायेंगे।

9. **वचनबद्ध** मदों, यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी तथा आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान, आदि मदों की धनराशि आवश्यकता के आधार पर प्र0वि0 अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। **अवचनबद्ध मदों की धनराशि भी आवश्यकतानुसार प्र0वि0 अपने स्तर से अवमुक्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता, तथा 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।** मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता, 06–अन्य भते, 09–विद्युत देय तथा 10–जलकर/जलप्रभार में Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मदों

का आबंटन HOD के द्वारा किया जायेगा एवं आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जायेगा। एरियर के भुगतान हेतु आहरण वितरण अधिकारी की मांग पर पोर्टल के मैनुअल पे–ऑपशन से भुगतान हेतु बजट आबंटित किया जायेगा।

10. **निम्नलिखित मदों में प्रावधानित धनराशि को सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार निर्गत किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–**

1. अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक–2210–06–101–99–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता।
2. अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2215–01–101–05–04–09–विद्युत देय।
3. अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2215–01–101–05–12–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता।
4. अनुदान सं0–20 के लेखाशीर्षक–2702–03–102–03–09–विद्युत देय।
5. अनुदान सं0–26 के लेखाशीर्षक–5452–80–104–04–52–24–वृहत निर्माण कार्य।
6. अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक–2406–01–101–05–वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर)।
7. अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक–2406–01–101–13–सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा।
8. **अनुदान सं0–07 के लेखाशीर्षक–4059–80–800–14–00–जिलाधिकारियों के निवर्तन पर अनटाइड फण्ड।**
9. **अनुदान सं0–06 के लेखाशीर्षक–2245–80–102–11–आपदा न्यूनीकरण निधि–42–अन्य व्यय।**
10. **अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–80–800–10–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।**
11. **अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2215–01–101–06–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।**

11. **मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता,मानक मद–30–निवेश/ऋण, मानक मद–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा मानक मद–42–अन्य व्यय** (जिला योजना एवं केन्द्रीय पोषित योजनाओं तथा प्रस्तर–10 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों को छोड़कर) के लिये आय–व्ययक के संबंधित मानक मद के अन्तर्गत प्रावधान रू० 5.00 करोड़ तक है तो धनराशि प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि

आहरित एवं व्यय की जायेगी। रू 5.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव सम्बन्धित व्यय–नियंत्रण अनुभाग की सहमति से **दो चरणों** में निर्गत की जायेगी। **इसमें प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धनराशि एकमुश्त (Lumpsum) न निर्गत करते हुए सम्बन्धित कार्यों/परियोजनाओं हेतु ही निर्गत की जायेगी।**

12. रू 5.00 करोड से अधिक के कार्यों/परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से आडिट कराया जायेगा। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अपने स्तर से ही आडिट रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। **ऐसे मामलों में यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना/निर्माण कार्यो की अनुमोदित कुल लागत की सीमा के अधीन ही धनराशि निर्गत की जाए तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति अनुसार कियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित की जाए।**

13. **केन्द्रपोषित योजनाओं** के सम्बन्ध में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर तथा वित्त अनु0--01/बजट निदेशालय से पुष्टि कराये जाने के पश्चात् आंबटित बजट की सीमा तक प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं। केन्द्रांश की धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग के पश्चात् राज्यांश की धनराशि प्र0वि0 अपने स्तर से निर्गत कर सकते हैं। प्र0वि0 के प्रमुख सचिव/सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यांश के शेयरिंग पैटर्न का अनुपालन किया गया है। **केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी तथा केन्द्रपोषित योजनाओं से किसी अन्य योजना में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।**

14. **वाह्य सहायतित योजनाओं** के अन्तर्गत प्र0वि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimbursment) भारत सरकार से प्राप्त किया जा चुका है एवं तदोपरान्त बजट की सीमा के अन्तर्गत चालू योजनाओं की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं अवमुक्त किये जायेंगे। नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत की जायेगी। रू 50.00 करोड़ से अधिक EAP को दो समान किस्तो में अवमुक्त किया जायेगा।

15 **एस0पी0ए0, एस0सी0ए0** एवं भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं में कुल स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि (भारत सरकार व राज्य सरकार) निर्गत नहीं की

जायेगी, यदि पूर्व में राज्य द्वारा कुछ धनराशि भारत सरकार से प्राप्ति की प्रत्याशा में निर्गत की गई है और भारत सरकार से धनराशि बाद में प्राप्त हो गई है तो राज्य द्वारा प्रत्याशा में दी गई धनराशि समायोजित कर ली जायेगी और यदि भारत सरकार से धनराशि विलम्ब से प्राप्त हुई है व बजट में प्रावधान न हो पाया हो तो उसके प्रावधान हेतु अगले अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए या अनुदान में उपलब्ध किसी केन्द्र पोषित योजना से पुनर्विनियोग का विचार किया जाए।

16. **एस0पी0ए0(आर0)** की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत बजट प्रावधान आपदा विभाग के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि यह एक समयबद्ध संसाधन (Time bound resource) है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार की साईट पर अपलोडेड तथा स्वीकृत परियोजनायें एवं जिस पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, ऐसे समस्त परियोजनाओं को भारत सरकार के द्वारा जारी धनराशि की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति का अधिकार आपदा प्रबन्धन विभाग को दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि विभागों द्वारा एच0पी0सी0 से अपलोडेड योजनाओं के अतिरिक्त एच0पी0 सी0 से अन्य योजनाओं को अनुमोदित करायी गयी है तो समस्त प्रशासकीय विभाग से अपेक्षा है कि वह शीघ्र एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं (Projects) को नियमानुसार सभी औपचारिकतायें (टी0ए0सी0 आदि) पूरी करते हुए नियोजन विभाग को भेजेंगे एवं नियोजन विभाग के माध्यम से आपदा प्रबन्धन विभाग से शीघ्र सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. नाबार्ड का वर्ष 2019–20 हेतु Disbursment Target एवं New Project Sanction के लक्ष्य एच0पी0सी0 द्वारा निर्धारित किये जा चुके हैं। प्रशासकीय विभाग से अपेक्षा है कि वह अपने विभाग के नये Projects शीघ्र एच0पी0सी0 में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको अनुमोदनोपरान्त ससमय नाबार्ड से स्वीकृत किया जा सके। चालू परियोजनाओं में बजट सीमा तक की धनराशि प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से निर्गत कर सकेंगे। **प्र0वि0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(6) प्रावधानानुसार नाबार्ड से स्वीकृत नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के प्रस्ताव तीन चरणों में 40–40–20 प्रतिशत के आधार पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।** प्र0वि0 नाबार्ड मद में प्रावधानित धनराशि

उसी सीमा तक निर्गत करेंगे जितना की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में व्यय की जा सके एवं किसी भी दशा में पार्किंग ऑफ फण्ड नहीं किया जायेगा।

18. केन्द्रपोषित योजनाओं/वाहय सहायतित योजनाओं/एस0पी0ए0 तथा एस0पी0ए0 आर0 योजनाओं में निर्धारित बजट आबंटन से अधिक की धनराशि कदापि व्यय न की जाए। उक्त योजनाओं में निर्धारित बजट से अधिक आवंटन होने पर इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का होगा। केन्द्रपोषित/केन्द्रपुरोनिधानित, वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये **स्पेशल कम्पोनेट प्लान** तथा अनुसूचित जनजाति के लिये **ट्राइबल सब प्लान** के अन्तर्गत बजट प्राविधान/आबंटित धनराशि किसी भी दशा में अन्य-योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया जाए।

19. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महोलखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0--10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजीका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण–वितरण अधिकारियों को आबंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

20. जैसा कि बजट मैनुअल के प्रस्तर--75 में इंगित किया गया है बजट नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो एवं सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर

वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। कोर ट्रेजरी सिस्टम माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी०एम०–8 पर प्राप्त करते हुये व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनायें समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। **प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाए।** राजस्व मद से पूंजीगत मद में इसी प्रकार पूंजीगत मद से राजस्व मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। उक्त सम्बन्ध में समस्त विभाग महालेखाकार द्वारा ऑडिट पैरा में इंगित आपत्तियों का तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

21. प्र०वि० विभागों द्वारा यदि किसी योजनाओं में धनराशि **पी०एल०ए०** खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायें। तदोपरान्त ही योजनार्न्तगत आय–व्ययक में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें। सी०एस०एस०, ई०ए०पी०, नाबार्ड एवं जिलायोजना को छोड़कर पी०एल०ए० खाते में जमा धनराशि वित्त विभाग की सहमति से ही आहरित की जायेगी।

22. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम); वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(612)

संख्या–254 /3(150)–2017/XXVII(1)/2018 एवं तद्दिनांकित 21/3/19

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमांऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
5. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. शासन के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(613)

संख्या– 34 /xxvii(7)40(9)2010–11/2019

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी, 2019

विषयः– कार्य नियमावली, 1975 के नियम–4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–54/xxvii(1)/2005 दिनांक 15 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या–477/xxvii(1)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्य नियमावली, 1975 (Rules of Business) के नियम–4(2) के उप नियम क, ख, ग तथा घ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया था। कार्य नियमावली में नियम–4(2) की व्यवस्था निम्नवत् हैः–

4(2)–जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने या निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समावृत न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा–

(क) जिससे राजस्व का परित्याग सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो,

(ख) जिससे भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अभ्यर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई सुखाचार या विशेषाधिकारी सन्निहित हो,

(ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ते या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित हो,

(घ) जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहे उसमें व्यय सन्निहित हो या नहीं,

स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण भी जिनमें व्यय सन्निहित न हो परन्तु अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....2

2– कार्य नियमावली की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा वित्तीय उपाशय से सम्बन्धित प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति के बिना स्वयं निर्णय लिया जा रहा है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन के दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य नियमावली, 1975 के प्रावधानानुसार वित्तीय उपाशय से सम्बन्धित मामलों में निर्णय, वित्त विभाग की सहमति के पश्चात लिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों का अनुपालन न करने पर वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या– /XXVII(7)40(9)2010–11/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी/विभागीय लेखा/आडिट विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वित्तीय मामलों से सम्बन्धित उक्त आदेशों/निर्देशों से इतर जारी आदेशों, जिनमें वित्त विभाग की सहमति अंकित न हो, का संज्ञान न लिया जाय। तद्नुसार कृपया अपने अधिनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(615)

संख्या– ३२० /50(54)/XXVII(7)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–7

देहरादून, दिनांक: १२ ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2018

विषयः– विभागों में विद्यमान रिक्त पदों को भरे जाने विषयक अधियाचन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–206/50(54)/XXVII(7)/2018 टी0सी0 दिनांक 10.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय ढांचे में विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने विषयक अधियाचन भेजे जाने से पूर्व अपेक्षित योग्यताओं के परीक्षण के उद्देश्य से सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव पर वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि 15 वें वित्त आयोग के Term of Reference में सार्वजनिक प्रशासन की कार्य कुशलता में वृद्धि करने, लोक प्रशासन में नवोन्मेषी विचारों व प्रक्रियाओं को लागू किये जाने एवं सम्पूर्ण व्यवस्था को समयानुकूल बनाये जाने के लिये सभी विभागों की विभागीय संरचना को पुनर्व्यवस्थित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इसके दृष्टिगत विद्यमान पदों की अर्हता व योग्यता में वांछित संशोधन करने एवं वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के अनुकूल एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम कार्मिकों की आवश्यकता है। वर्तमान में दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर आदि नवीन तकनीकी ज्ञान एवं कौशल में अधिकारियों/कर्मचारियों का निपुण होना लोक कल्याण की अधिकाधिक पूर्ति हेतु अपरिहार्य है, जिससे कुशलतापूर्वक सेवाओं की आपूर्ति, क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी की जा सके।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उक्त शासनादेश सं0–206/50(54)/XXVII(7)/2018 टी0सी0 दिनांक 10.07.2018 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय ढांचे में विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने विषयक अधियाचन भेजे जाने से पूर्व अपेक्षित योग्यताओं के परीक्षण के उद्देश्य से सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव पर वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– /XXVII(6)/एक/398/2006/18

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

विषय– उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा–51 के प्राविधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने के फलस्वरूप आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रकिया विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 6) की धारा–51 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः 858 एवं 859/2018/16(120)/XXVII(8)/2018/CT-50 एवं CT-51 दिनांक 27 सितम्बर, 2018 के माध्यम से इस व्यवस्था को राज्य में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से लागू किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर की नवीन प्रणाली में स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) कोषागार से पारित होने वाले देयकों के सम्बन्ध में :

1. माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में किसी संविदा के अधीन सप्लायर (Supplier) को दिये गये रू0 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी।
2. स्रोत पर कर की कटौती के लिए सभी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करके अपना–अपना पृथक–पृथक माल और सेवा कर पहचान नम्बर (GSTIN) प्राप्त करेंगे।
3. स्रोत पर कर की कटौती के लिए आहरण वितरण अधिकारी को जीएसटीएन पोर्टल पर अपने GSTIN का प्रयोग करके लागइन करना होगा।
4. जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगइन के उपरान्त सिस्टम पर जीएसटी टीडीएस का चालान (CPIN) जनरेट करके सुसंगत लेखाशीर्षक में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण भरा जायेगा।
5. तत्पश्चात आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार पोर्टल पर अन्य कोषागार देयकों की भाँति उक्त CPIN का प्रयोग करते हुये सप्लायर (Supplier) से सम्बन्धित देयक को कोषागार सिस्टम पर तैयार किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार पोर्टल पर देयक को सफलतापूर्वक तैयार कर लेने एवं अनुमोदित कर देने के उपरान्त सम्बन्धित देयक का प्रिन्ट लेकर उसके साथ जीएसटीएन पोर्टल पर स्रोत पर जीएसटी टीडीएस कटौती से सम्बन्धित जनरेट किये गये चालान की प्रिन्ट की हुयी प्रति को संलग्न करके कोषागार में देयक को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

617

7. कोषागार में कन्टीजेन्सी से सम्बन्धित अन्य देयकों को पारित किये जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन इस देयक का भी परीक्षण उसी भाँति करके देयक के सही होने पर ई–कुबेर के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
8. जीएसटी की प्रणाली में स्रोत से कर की कटौती का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंश के सफलतापूर्वक पोस्टिंग के उपरान्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।
9. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की काटौती से सम्बन्धित विवरण को जी0एस0टी0एन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी।
10. स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरणों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी के लिए समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रारूप–1 पर एक पंजिका तैयार की जायेगी, जो कटौतियों की मासिक सूचना (Form GSTR-7) को तैयार करने में सहायक होगा तथा जीएसटीएन पोर्टल पर ऑफलाइन यूटिलिटी के प्रयोग के लिए भी सहायक होगी।
11. स्रोत से कर की कटौती की मासिक सूचना को तैयार करने के बाद सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित मासिक प्रमाण–पत्र (Form GSTR-7A) जीएसटीएन पोर्टल पर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा।

(ख) ऐसे देयक जो कोषागार से पारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में :

राज्य सरकार से अनुदानित संस्थाओं, स्थानीय निकायों, परिषदों, निगमों आदि में जिनका भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं होता है, सप्लायर (Supplier) को किये गये भुगतान में से नवीन प्रणाली के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती (TDS) एवं भुगतान के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी:–

1. राज्य सरकार से अनुदानित संस्थाओं, स्थानीय निकायों, परिषदों, निगमों आदि के प्रशासकों द्वारा भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करने, जीएसटीआईएन प्राप्त करने और माल एवं सेवा कर की नवीन प्रणाली में 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर सेवाकर की कटौती की धनराशि को जमा करने के लिये जीएसटीएन पोर्टल का प्रयोग किया जायेगा।
2. सिस्टम में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण सफलतापूर्वक भरके चालान (CPIN) जनरेट कर लेने के उपरान्त जीएसटीएन पोर्टल पर OTC मोड में उस बैंक को सेलेक्ट करके चालान की धनराशि को जमा करेंगे जिस बैंक में सप्लायर (Supplier) से सम्बन्धित जीएसटी की कटौती की धनराशि जमा की जानी है।
3. जीएसटी की धनराशि सफलतापूर्वक जमा हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट किया जायेगा जो इलैक्ट्रानिक मोड में जीएसटीएन पोर्टल में सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकरी के लिये उपलब्ध होगा। भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी इसका प्रिन्ट ले सकेंगे।
4. माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में सप्लायर (Supplier) को रूपये 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. स्रोत पर कर की कटौती के लिए सभी सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करके अपना–अपना पृथक–पृथक माल और सेवा कर पहचान नम्बर (GSTIN) प्राप्त करेंगे।
6. स्रोत पर कर की कटौती के लिए भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी को जीएसटीएन पोर्टल पर अपने GSTIN का प्रयोग करके लागइन करना होगा।
7. जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगइन के उपरान्त सिस्टम पर चालान (CPIN) जनरेट करके सुसंगत लेखाशीर्षक में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण भरा जायेगा।
8. जीएसटी की प्रणाली में स्रोत से कर की कटौती का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंश का सफलतापूर्वक पोस्टिंग के उपरान्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पर सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।

9. भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरण को जी0एस0टी0एन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी।
10. स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरणों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी के लिए भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप–1 पर एक पंजिका तैयार की जायेगी, जो कटौतियों के मासिक सूचना (Form GSTR-7) को तैयार करने में सहायक होगा तथा जीएसटीएन पोर्टल पर ऑफलाइन यूटिलिटी के प्रयोग के लिए भी सहायक होगी।
11. स्रोत से कर की कटौती की मासिक सूचना को तैयार करने के बाद भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित मासिक प्रमाण–पत्र (Form GSTR-7A) जी0एस0टी0एन पोर्टल पर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन अपने–अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों से सम्बद्व आहरण वितरण अधिकारियों से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 192 /XXVII(6)/एक/398/2006/18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य/प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक कौषागार,पेंशन एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी भुगतान एवं लेखा कार्यालय/ उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. राज्य एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।

619

संख्याः – /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0 सा0नि0)अनुभाग 7 देहरादून : दिनांक 31 जुलाई 2018

विषयः राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 1997, 29 मई, 1999 एवं शासनादेश संख्या–184/XXVII(7)50(06)/2017 दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा प्रत्येक अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित है, को कार्यरत अवधि में वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2017 में यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी माह शासकीय वाहन का निजी उपयोग 200 किलोमीटर से अधिक किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी से रू0 10/- प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी माह में कार्यरत अवधि में शासकीय वाहन का निजी उपयोग 300 किलोमीटर से अधिक किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी से रू0 10/- प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा की जाय।

3. उक्त वर्णित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 181 (1)/xxvii(7)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1-- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2 निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, उत्तराखण्ड।
3 महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5-- समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्थायें/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
6 समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8-- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,उत्तराखण्ड (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु)
9-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

620

संख्या-206/50(54)/XXVII(7)/2018 टी०सी०

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–7

देहरादून, दिनांकः 10 जुलाई, 2018

विषयः– विभागों में विद्यमान रिक्त पदों को भरे जाने विषयक अधियाचन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 15 वें वित्त आयोग के Term of Reference में सार्वजनिक प्रशासन की कार्य कुशलता में वृद्धि करने, लोक प्रशासन में नवोन्मेषी विचारों व प्रकियाओं को लागू किये जाने एवं सम्पूर्ण व्यवस्था को समयानुकूल बनाये जाने के लिये सभी विभागों की विभागीय संरचना को पुनर्व्यवस्थित (Business Process Re-Engineering) किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इसके दृष्टिगत विद्यमान पदों की अर्हता व योग्यता में वांछित संशोधन करने एवं वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश के अनुकूल एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम कार्मिकों की आवश्यकता है। वर्तमान में दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर आदि नवीन तकनीकी ज्ञान एवं कौशल में अधिकारियों/कर्मचारियों का निपुण होना लोक कल्याण की अधिकाधिक पूर्ति हेतु अपरिहार्य है, जिससे कुशलतापूर्वक सेवाओं की आपूर्ति, क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी की जा सके। इसके माध्यम से ही जनकल्याण की सभी योजनाओं एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति विषयक योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन व अनुश्रवण निर्धारित समयान्तर्गत किया जा सकता है।

2– राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के दृष्टिगत मानव विकास के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी विभागों को अपने ढांचे को पुनर्व्यवस्थित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूर संचार के प्रभावी उपयोग हेतु पदों की अर्हता में कम्प्यूटर संचालन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विषयक निपुणता को शामिल करना अपरिहार्य है। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय ढांचे में विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने विषयक अधियाचन भेजे जाने से पूर्व अपेक्षित योग्यताओं के परीक्षण के उद्देश्य से सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव पर वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या: 714 /121/रा0यो0आ0–Q.A./2018 (621)

Add in Index

प्रेषक,

प्रभारी सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग   देहरादून: दिनांक: 30 मई, 2018

विषय: विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण की वाह्य संस्थाओं के माध्यम से तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं उत्तराखण्ड राज्य में निर्माण कार्यों के तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण/जॉच कार्य जैसा कि सचिवालय कार्यावंटन नियमावली में उल्लिखित है, Technical Audit का दायित्व नियोजन विभाग का है के क्रम में नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) द्वारा Quality Council of India द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न तीन संस्थाओं का सूचीकरण किया गया है–

1. Bureau Veritas (India) Pvt. Ltd., 72, Business Park Marol Industrial Area, Oppsite Seepz Gate No.2, MIDC Cross Road "C", Andheri (East), Mumbai - 400093.
2. Quality Austria Central Asia Pvt. Ltd. 52 B, Ground Floor, Okhla Indusrtial Area, Phase-III, New Delhi -110020.
3. IRCLASS System & Solutions Pvt. Ltd. 4th Floor, Industrial Services, 52A Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai - 400072.

उत्तराखण्ड राज्य को भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार तीन भागों में बॉटा गया है–

1. Plane and foot hill region.
2. Middle hill region.
3. Remote hilly region.

इसी के अनुरूप जैसा कि निम्नांकित Column 2 में उल्लिखित है के अनुसार कार्यों की श्रेणीवार दरें अंकित की गयी हैं।

Sl. No.	**Nature of works and estimated cost**	**Rates by way of percentage of cost of work in words And Figures.**		
		1. Plane and foot hill region	**2.Middle hill region**	**3. Remote hilly region**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	**Road and allied works (low volume)**			
a.	Above Rs. 25.00 Cr.	0.38 (Zero Point Three Eight)	0.72 (Zero Point Seven Two)	1.18 (One Point One Eight)
b.	Above Rs.15.00 Cr. Upto Rs. 25.00Cr.	0.51 (Zero Point Five One)	0.91 (Zero Point Nine One)	1.29 (One Point Two Nine)

c.	Above Rs. 5.00 Cr. Upto Rs. 15.00Cr.	0.61 (Zero Point Six One)	1.12 (One Point One Two)	1.[illegible] (One Point Four Nine)
d.	Above Rs. 1.00 Cr. Upto Rs. 5.00Cr.	1.00 (One Point Zero Zero)	1.80 (One Point Eight Zero)	2.24 (Two Point Two Four)
2.	**Building and appurtenant works (low volume)**			
a.	Above Rs. 25.00 Cr.	0.79 (Zero Point Seven Nine)	0.88 (Zero Point Eight Eight)	0.97 (Zero PointNine Seven)
b.	Above Rs.15.00 Cr. Upto Rs. 25.00Cr.	0.89 (Zero Point Eight Nine)	0.99 (Zero Point Nine Nine)	1.19 (One Point One Nine)
c.	Above Rs. 5.00 Cr. Upto Rs. 15.00Cr.	1.05 (One Point Zero Five)	1.19 (One Point One Nine)	1.49 (One Point Four Nine)
d.	Above Rs. 1.00 Cr. Upto Rs. 5.00Cr.	1.49 (One Point Four Nine)	1.99 (One Point Nine Nine)	2.24 (Two Point Two Four)
3.	**Water Supply and allied works (low volume)**			
a.	Above Rs. 25.00 Cr.	0.72 (One Point Seven Two)	0.89 (One Point Eight Nine)	0.97 (One Point Nine Seven)
b.	Above Rs.15.00 Cr. Upto Rs. 25.00Cr.	0.89 (Zero Point Eight Nine)	0.99 (Zero Point Nine Nine)	1.19 (One Point One Nine)
c.	Above Rs. 5.00 Cr. Upto Rs. 15.00Cr.	1.09 (One Point Zero Nine)	1.19 (One Point One Nine)	1.49 (One Point Four Nine)
d.	Above Rs. 1.00 Cr. Upto Rs. 5.00Cr.	1.49 (One Point Four Nine)	1.99 (One Point Nine Nine)	2.24 (Two Point Two Four)
4.	**Sewerage and allied works (low volume)**			
a.	Above Rs. 25.00 Cr.	0.35 (Zero Point Three Five)	0.68 (Zero Point Six Eight)	0.85 (Zero Point Eight Five)
b.	Above Rs.15.00 Cr. Upto Rs. 25.00Cr.	0.58 (Zero Point Five Eight)	0.82 (Zero Point Eight Two)	0.94 (Zero Point Nine Four)

c.	Above Rs. 5.00 Cr. Upto Rs. 15.00Cr.	0.75 (Zero Point Seven Five)	0.98 (Zero Point Nine Eight)	1.39 (One Point Three Nine)
d.	Above Rs. 1.00 Cr. Upto Rs. 5.00Cr.	1.49 (One Point Four Nine)	1.99 (One Point Nine Nine)	2.24 (Two Point Two Four)

उक्त दरों पर वाह्य संस्थाओं से तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण/जांच कार्य प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जा सकता है। जॉच कार्य की प्रति नियोजन विभाग राज्य योजना आयोग को संदर्भित करने का कष्ट करें। T.O.R. (Terms of Reference) की प्रति राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव

सं0: 714/121(1)/रा0यो0आ0–Q.A./2018 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2- Bureau Veritas (India) Pvt. Ltd., 72, Business Park Marol Industrial Area, Oppsite Seepz Gate No.2, MIDC Cross Road "C", Andheri (East), Mumbai - 400093.
3- Quality Austria Central Asia Pvt. Ltd. 52 B, Ground Floor, Okhla Indusrtial Area, Phase-III, New Delhi -110020.
4- IRCLASS System & Solutions Pvt. Ltd. 4th Floor, Industrial Services, 52A Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai - 400072.

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
प्रभारी सचिव

(624)

संख्याः 41 /XXVII(7)50(4)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय :पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने पर उनके वेतन/भत्तों आदि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेष संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में व्यवस्थायें उपबन्धित की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को अतिकमित करते हुए पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्नियोजन की अवधि में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित प्राविधान के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वेतन की अनुमन्यता उन्हीं मामलों में रहेगी जिसमें पुर्ननियोजन के पद का दायित्व नितान्त वैज्ञानिक, उच्च तकनीकी अथवा विशेषज्ञता से युक्त हो। पुनर्नियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, वह पुनर्नियुक्ति अवधि में उसका वेतन होगा। मंहगाई भत्ता उक्त वेतन एवं पेंशन पर समान रूप से पृथक–पृथक अनुमन्य होगा। यदि किसी अतिविशिष्टि विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के प्रकरण मे अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त मा0 मंत्रिमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यों, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यो तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यों के सम्पादन के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। नितान्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की मांग/संस्तुति पर सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व सेवा का इतिहास/स्वास्थ्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का भलि–भांति प्रशिक्षण करके औचित्य के साथ कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से संविदा के आधार पर सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए नियत मानदेय पर तैनाती की जायेगी। उक्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्व वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा। नियत मानदेय पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. पुनर्नियुक्ति/नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्तें, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एवं वेतन में देय महंगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा।
4. पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजन की अवधि पेंषन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. पुनर्नियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होंगे जिसके विरूद्ध उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन संबधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)2013–3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के प्रस्तावों पर वित्त विभाग में विचार किया जायेगा।
10. समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

2– पूर्व में नियोजित कार्मिक, जिन्हें शासनादेश संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं प्राप्त हो रही है, उन्हें उक्त सुविधायें उनके वर्तमान कार्यकाल तक अथवा 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, तक ही अनुमन्य होगी।

3– पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि में उक्त कार्मिको को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

4– पुनर्नियुक्ति केवल निःसंवर्गीय पदों पर की जायेगी। निःसंवर्गीय पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5– उक्त शासनादेश संवैधानिक पदधारकों पर लागू नहीं होगा।

6– इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश व नियम उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जाए। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : / /XXVII(7)50(4)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टैट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

626

संख्या: / /XXVII(7)विविध/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

3. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 18 अगस्त, 2017

विषय: सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–27/VII-1/31-उद्योग/2016 दिनांक 25.01.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य–कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण, उनके कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी विषयों के समाधान, नीति निर्धारण एवं सेवा सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। विषयगत सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे।

2. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों हेतु जारी किए जाने वाले समस्त शासनादेशों को उक्त निकायों में लागू किए जाने का विषय उक्त समिति में निहित होने के कारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–823/XXVII(7)2/27(30)2013 दिनांक 24.12.2013 को अतिकमित किया जाता है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 150 (1)/XXVII(7)विविध/2016/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमाऊ मंडल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

(627)

संख्या– /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 07 अगस्त, ~~जुलाई,~~ 2017

विषयः सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 1997, 29 मई, 1999 एवं 07 जून, 2017 द्वारा प्रत्येक अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित है, को कार्यरत अवधि में वाहन के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में प्रत्येक अधिकारी जिन्हें राजकीय वाहन आवंटित है, को प्रतिमाह 200 किलोमीटर तक राजकीय वाहन का निजी प्रयोग अनुमन्य किया गया है। यदि निजी उपयोग किसी माह में 200 किलोमीटर से अधिक होता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा रू0 3/– प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि देय होगी।

2. उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी माह में शासकीय वाहन का निजी उपयोग 200 किलोमीटर से अधिक किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी से रू0 03/– प्रति किलोमीटर के स्थान पर रू0 10/– प्रति किलोमीटर की दर से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा की जाय।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

क्रमशः......2

संख्या–125/XXVII(7)50(06)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. समस्त सार्वजनिक उपकम/निगम/स्वायत्तशासी संस्थायें/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव।

629

संख्या—84 /XXVII(7)50(06)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7 देहरादून: 07 जून मई, 2017

विषयः—राजकीय व्यय में मितव्ययिता के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख—रखाव आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

वित्तीय अनुशासन तथा "वैल्यू फार मनी" के सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय को कम करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 19.03.1997 एवं 29 मई, 1999 द्वारा वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेशों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है को 200 किलोमीटर प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष में प्रति माह प्रति वाहन के आधार पर कार के लिए रू0 500/— तथा जीप के लिए रू0 400/— जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा किये जाने वाले प्रति वाहन, प्रति माह की वर्तमान राशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू0 2000/— प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाय।

2. उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

3. उक्त धनराशि राजकोष में यथानिर्धारित लेखाशीर्षक के अधीन पूर्व की भांति जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /XXVII(7)50(06)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्थायें/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून (राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 366/XXVII(1)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांकः** 13 अप्रैल, 2017

विषयः– कैशलेस अर्थव्यवस्था में सहयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 14.04.2017 को बाबा भीम राव अम्बेडकर की जयंती के सुअवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित डिजी धन मेले के अवसर पर कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा दिये जाने हेतु BHIM App (Bharat Interface for Money app) को लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कैशलेस लेनदेन को बढावा दिये जाने के लिये नीति आयोग द्वारा डिजीटल पेमेन्ट हेतु निम्न 5 तरीके सुझाये गये हैः–

1. बैंक कार्ड
2. USSD (Unstructured Supplementary Service Data)
3. आधार इनेबल्ड पेमेन्ट
4. UPI (Unified Payment Interface)
5. ई–वॉलेट

2– उक्त सम्बन्ध में राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु उपर्युल्लिखित 5 तरीकों में से अपनी सुविधानुसार किसी तरीके का चयन कर कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा दिये जाने का प्रयास किया जाना है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कैशलेस अर्थव्यवस्था में सहयोग करने हेतु उपर्युल्लिखित 5 तरीकों में से अपनी सुविधानुसार किसी तरीके का चयन कर कैशलेस लेन–देन को बढावा दिये जाने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– /XXVII(1)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमांऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्याः 316 /XXVII(1) /2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव / सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2– प्रमुख सचिव / सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः31 मार्च, 2017

विषयः– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को अन्तरित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के प्ररिपेक्ष्य में शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार स्थानीय निकायों को वर्ष 2020–21 तक की अवधि के लिए राज्य के निज कर राजस्व का 10.50 प्रतिशत भाग अंतरण के रूप में नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को देय होगा, जिसे शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बीच 55:45 के अनुपात में वितरित किया जायेगा।

2– शहरी स्थानीय निकायों को देय 55 प्रतिशत अंश में से नगर निगमों को 40 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों को 45 प्रतिशत एवं नगर पंचायतों को 15 प्रतिशत अंश देय होगा।

(1) आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के बीच अंतरण की संस्तुति निम्न मानदण्डों के आधार पर की गई हैः–

		नगर निगम		नगर पालिका परिषद		नगर पंचायत	
1.	जनसंख्या	50	प्रतिशत	60	प्रतिशत	60	प्रतिशत
2.	क्षेत्रफल	20	प्रतिशत	10	प्रतिशत	20	प्रतिशत
3.	कर प्रयास	20	प्रतिशत	20	प्रतिशत	20	प्रतिशत
4.	केन्द्रीयता सूचकांक	10	प्रतिशत	10	प्रतिशत	–	

(2) आयोग द्वारा निर्धारित संक्रमण सूत्र के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि संक्रमित की जायेगी। वर्ष 2015 में नव गठित 03 नगर पालिकाओं एवं वर्ष 2011–2016 के मध्य गठित 25 नई नगर पंचायतों को आयोग द्वारा निर्धारित संक्रमण सूत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है । इन निकायों के लिए सहायता अनुदान उनके नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों के समूह की अनुमन्य संक्रमण धनराशि से घटा दिया जायेगा। नव गठित नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को विशिष्ट सहायक अनुदान के रूप में वर्ष 2017–18 में ₹1.00 करोड़ प्रतिवर्ष तथा शेष अवार्ड अवधि में ₹75.00 लाख प्रत्येक को वार्षिक सहायता अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष ₹ 25.00 लाख का विशेष अनुदान उन मदों पर व्यय किया जायेगा, जो मुख्य रूप से पूंजीगत कार्य या राजस्व व्यय की प्रारम्भिक मदें हों परन्तु इस अनुदान से कोई

स्टाफ कार/ जीप क्रय नहीं की जा सकेगी वार्षिक। सहायता अनुदान की धनराशि प्रथम वर्ष ₹35.00 करोड़ तथा आगे के तीन वर्षों के लिए ₹21.00 करोड़ प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।

(3) शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को देय अंश अनुलग्नक– I में इंगित किये गये हैं।

3— आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार तीन अनिर्वाचित नगर पंचायतों क्रमशः बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री को प्रतिवर्ष निम्नानुसार सहायक अनुदान दिया जायेगाः—

1.	बद्रीनाथ	100	लाख प्रतिवर्ष
2.	केदारनाथ	50	लाख प्रतिवर्ष
3.	गंगोत्री	50	लाख प्रतिवर्ष

4— पंचायतीराज संस्थाओं को देय 45 प्रतिशत अंश में से जिला पंचायतों को 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायत को 30 प्रतिशत एवं समस्त ग्राम पंचायतों को 35 प्रतिशत अंश देय होगा।

(1) आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के बीच अंतरण की संस्तुति निम्न मानदण्डों के आधार पर की गई हैः—

		जिला पंचायत		क्षेत्र पंचायत		ग्राम पंचायत	
1.	जनससंख्या	50	प्रतिशत	50	प्रतिशत	60	प्रतिशत
2.	क्षेत्रफल	20	प्रतिशत	30	प्रतिशत	20	प्रतिशत
3.	कर प्रयास	15	प्रतिशत	—		—	
4.	दूरस्थता	15	प्रतिशत	20	प्रतिशत	20	प्रतिशत

(2) पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को देय अंश अनुलग्नक– II, III, व IV में इंगित किये गये हैं।

5— आयोग की संस्तुतियां 01 अप्रैल, 2017 से लागू होंगी तथा शहरी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था/ सूत्र के आधार पर धनराशि अंतरित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016—17 में अंतरित धनराशि का कोई समायोजन नहीं किया जायेगा।

6— शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को अंतरण की धनराशि (किश्तें) पूर्व की भांति किया जायेगा।

7— आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाले धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि तथा पथ प्रकाश के देयकों के भुगतान पर व्यय किया जायेगा। उक्त भुगतान के बाद अवशेष धनराशि विकास कार्यो में व्यय की जायेगी। जिला पंचायतों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर किया जायेगा।

8— चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन की प्रतियां सम्बन्धित स्थानीय निकायों के निदेशालयों को उपलब्ध करा दी गई हैं। आयोग द्वारा प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के संबंध में सभी निकायों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जानी है।

9— आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की पेंशन भुगतान हेतु कोई कटौती नहीं की जायेगी तथा वेतन से 12 प्रतिशत धनराशि की कटौती एवं शहरी स्थानीय निकाय से बराबर धनराशि के अंशदान की व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

10— आयोग द्वारा किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को तब तक कोई धनराशि अन्तरित नहीं किये जाने की संस्तुति की है, जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि पेंशन निधि हेतु अंशदान तथा सेवानिवृत्त

कर्मचारियों के दावों का भुगतान निकाय द्वारा कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष अर्थात वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त तब तक अवमुक्त नहीं की जायेगी जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा से पिछले वर्ष के लिये प्रमाण–पत्र प्राप्त न कर लिया जाय। केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की निधि में संक्रमण की धनराशि से कटौती की व्यवस्था तत्काल समाप्त कर दी जाय। 634

11– आयोग की अवार्ड अवधि के मध्य समय–समय पर नये शहरी स्थानीय निकायों का गठन होने पर आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप धनराशि अंतरित की जायेगी।

12– केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान के बंटवारे के लिये सभी शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या व क्षेत्रफल को कमशः 80 प्रतिशत व 20 प्रतिशत का भारांश देकर जनसंख्या व क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा को मानकर वितरित की जायेगी। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आंकड़ें निदेशक, शहरी विकास द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

13– नवसृजित पंचायतों या शहरी स्थानीय के अनुदान को पुर्नसमायोजित करने का अधिकार वित्त विभाग को प्रतिनिधायित कर दिया गया है।

14– पंचायतीराज संस्थाओं के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय शासनादेश संख्या 2004/xii /2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर 2011 के अनुसार दिया जायेगा।उक्त मानदेय का भुगतान आयोग की संस्तुतियों पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से किया जायेगा तथा इसके लिए अलग से बजट आवंटित नहीं किया जायेगा। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय की धनराशि में संशोधन/ परिवर्तन किया जाता है, तो तद्नुसार ही मानदेय की धनराशि देय होगी।

15– आयोग द्वारा जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र, स्टेशनरी आदि की आवश्यकता हेतु न्यूनतम ₹500/– व अधिकतम ₹1000/–प्रतिमाह, ग्राम पंचायत को संक्रमण की धनराशि से 5 प्रतिशत की सीमा में रहते हुए आकस्मिकता मद में व्यय किये जाने की संस्तुति की गई है।

16– आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों के निर्धारित पारस्परिक अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें गम्भीर विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। एक उच्चीकृत निकाय को वही अनुदान प्राप्त होते रहेंगे जो आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसे प्राप्त हुआ है।

17– आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के वेतन एवं पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में की गई संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इस हेतु ₹56.90 करोड़ की धनराशि अंतरित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निकायों द्वारा सूचना निदेशक शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

18– आयोग द्वारा विशेष प्रयोजन एवं अन्य अनुदानों हेतु की गई संस्तुति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार धनराशि अंतरित की जायेगी। इस सम्बन्ध में अलग से शासनादेश जारी किया जायेगा।

<u>19–सामान्य निर्देशः–</u>

1. स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि को कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित निकायों (शहरी स्थानीय निकाय–नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं पंचायतीराज संस्थाओं–जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत) के खाते में सीधे अंतरित की जायेगी। अंतरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग केवल उस कार्य के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
2. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का

दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकायों, शहरी स्थानीय निकायों के मामलें में अध्यक्ष, जिला पंचायतों के मामलें अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के मामलें में जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त आयोग निदेशालय, कमरा न0–223, द्वितीय तल, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय, देहरादून को कार्यो के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः ३१८ /XXVII(1)/ 2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
(2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
(5) निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
(6) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, (लेखा एवं हकदारी) 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, ड़ाडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
(8) निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून।
(9) समस्त मुख्य/ वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम–देहरादून/ हरिद्वार/ हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
(11) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
(12) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
(13) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
(14) समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत–उत्तराखण्ड।
(15) समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(16) समस्त विकास खण्ड अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(17) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(18) एन.आई.सी. सचिवालय, परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

636

संख्या–1380/35(150)/ XXVII(1)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 29 नवम्बर, 2016

विषयः– बजटीय एवं राजकोषीय सुधार के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में आगामी आय–व्ययक 2017–18 में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष के विभाजन को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सरकार के आय–व्ययक (बजट) साहित्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों आदि में भी आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष को भारत सरकार की भांति समाप्त किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक (बजट) का प्रस्ताव **ऑन लाईन** राजस्व व पूंजी तथा भारित व मतदेय पक्ष में भरकर प्रेषित किया जाय।

इसके दृष्टिगत बजट साहित्य के अतिरिक्त राज्य सरकार के समस्त वित्तीय अभिलेखों यथा–बजट मेन्युअल उत्तराखण्ड (प्रथम संस्करण) 2012, बजट का सार, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, मानक मदवार विवरण, महालेखाकार के परामर्शानुसार समेकित निधि की प्राप्तियों आदि के विवरण में भी यथाशीघ्र उक्तानुसार संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 1380 /XXVII(1)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजर, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं।
3. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरखण्ड ।
4. बजट अधिकारी उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(E)-Finance-01- Vit - 01 Letter-.docx

संख्या– 633 / 150–रा0यो0आ0 / 2014–15 टी0सी0 (637)

प्रेषक,

सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) **अपर मुख्य सचिव,**
वन एवं पर्यावरण / पेयजल एवं स्वच्छता / वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) **समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग। देहरादूनः दिनांकः 06 जून, 2016

विषयः– **व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित होने से पूर्व समिति से संबंधित शासनादेश के बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आप अवगत हैं कि रू0 5.00 करोड़ से अधिक की निर्मित / निर्माणाधीन योजनाओं को व्यय वित्त समिति से संबंधित कार्यालय–ज्ञाप संख्या–498 / XXVII(1) / 2007 दिनांक 05 जून, 2007 के क्रम में प्रकरणों नियोजन / राज्य योजना आयोग को संदर्भित किये जाते हैं और तदनुसार तत्संबंधी प्रकरणों पर व्यय वित्त समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2– इस संबंध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किये जा रहे रू0 5.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं के प्रकरणों में विभागों द्वारा व्यय वित्त समिति के उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05 जून, 2007 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे कि प्राप्त प्रस्तावों का सम्यक रूप से परीक्षण नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय विभागों द्वारा कतिपय प्रस्तावों पर अपने स्तर से ही व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित करवा ली जाती है जिससे एक ओर जहां प्रकरणों को बैठक से पूर्व परीक्षण नहीं हो पाता है वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की बैठक में निर्णय / अनुमोदन के संबंध में कठिनाई होती है। आप अवगत हैं कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05 जून, 2007 के अनुसार समिति के सचिवालयीय कार्यो का निर्वहन एवं परीक्षण की कार्यवाही नियोजन विभाग के राज्य योजना आयोग द्वारा की जा रही है एवं तदानुसार समिति की बैठक से पूर्व तत्संबंधी योजना का परीक्षण, बैठक का आयोजन, बैठक के पश्चात् समिति की बैठक का कार्यवृत्त जारी करने का कार्य नियोजन विभाग के राज्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

3– अतः उक्त के संदर्भ में पुनः यह निवेदन है कि कृपया व्यय वित्त समिति से संबंधित प्रस्तावों को उक्त **कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05 जून, 2007** में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार एवं उसमें इंगित संलग्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जाय, ताकि तदनुसार प्रस्तावों का सम्यक रूप से परीक्षण कर व्यय वित्त समिति की बैठक आहूत कराते हुए समिति के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

(1)–किसी भी प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठितविभागीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। विभागीय समिति द्वारा योजना/परियोजना/अनावर्तक मद के औचित्यपूर्ण परीक्षण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से विचार किया जायेगा:–

क–योजना/प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण तथा भूमिका **(Context/ background)**
ख–समस्यायें जिनका परियोजना से समाधान होगा। **(Problems to be addressed)**
ग–योजना का उद्देश्य **(Project objectives)**
घ–लक्षित लाभार्थी **(Target benificiaries)**
ड़–परियोजना की युद्धनीति **(Project Strategy)**
च–विधिक संरचना। **(Legal Framework)**
छ–पर्यावरणीय प्रभाव **(Environmental impact assessment)**
ज–**On going- initiatives**
झ–तकनीकी बिन्दु **(Technology issue)**
ञ–प्रबन्धीय व्यवस्थायें **(Management arrangements)**
ट–वित्तीय स्रोत तथा योजना का बजट **(Means of finance and Project Budget)**
ठ–समयसीमा **(Time frame)**
ड–जोखिम विश्लेषण **(Risk analysis)**
ढ़–मूल्यांकन **(Evaluation)**
ण–सफलता का आधार **(Success criteria)**
त–वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण **(Financial and economic analysis)**
थ–सस्टेनेबिलिटी–**(Sustainability)**

उक्त बिन्दुओं पर स्वतः स्पष्ट टिप्पणी उक्त शासनादेश के परिशिष्ट (क–अवलोकनीय में) दिया गया है जो निम्नानुसार है:–

1. **Context/background**: This section should provided brief description of the sector/subsector, the national/state priority, strategy and policy framework as well as a brief description of the existing situation.

2. **Problems to be addressed**: This section should elaborate the problems to be addressed through the project/scheme at the local/resional/state level, as the case may be, Eviednce regarding the nature and magnitude of the problems should be presented, supported by baseline data/surveys/reports. Clear evidence should be available regarding the nature and magnitude of the problems to be addressed.

3. **Project objectives**: This section should indicate the Develoment objectives proposed to be achieved, ranked in order of importance . The deliverables/outputs for each Development objective should be spelt out crearly. This section should also provide a general description of the prject.

4. **Target beneficiaries**: There should be clear identification of target beneficiaries. Stakeholder analysis should be undertaken, including consultation with stakeholder at the time of project formulation . Options regarding cost sharing and beneficiaries participation should be explored and incorporated in the project. Impact of the project on weaker section of society, positive or negative, should be assessed and remedial steps suggested in case of adverse impact.

5. **Project strategy**: This section should present and analysis of alternatives strategies available to achive the development objectives. Reason for selecting the purposed strategy should be brought out.

Basis for prioritization of lacation should be indicated (where relevant). Options and opportunity for leveraging government funds through public-private partnership must be given priority and explored in depth.

6. **Legal framework**: This sector should present the legal framework within which the project will be implemented and strengths and weakness of the legal framework in so far as it impacts on achievement of project objectives.

7. **Environmental impact assessement**: Environmental impact assessement should be under taken, wherever required and measures identified to mitigate adverse impact, if any. Issues relating to land acquisition, diversion of forest land, rehabilitation and resettlement should be addressed in this section.

8. **On–going initiatives**: This section should provides a description of ongoing initiatives and the manner in which duplication will be avoided and synergy created through the proposed project.

9. **Technology issues**: This section should elaborate on technology choices, if any, evaluation of optios, as well as the basis for choice of technology for the proposed project.

10. **Management arrangements**: Resoponsbilities of different agencies for project management and implementation should be elaborated. The organization structure at various levels as well as monitoring and coordination arrangements should be spelt out.

11. **Means of Finance and project Budget**: This Section focus of means of finance, evaluation of options, project budget, cost estimates and phasing of expenditure. Options for cost sharing and cost recovery (user charges) should be considerd and built into the total project cost. Infrastructure projects may be assessed on the bassis of the cost of debt finance and the tenor of debt. Options of raising funds through private sector participation should also be considered and built into the project cost.

12. **Time frame**: This section should indicate the proposed 'Zero' date for commencement and also provide a PERT/CPM chart, wherever relevant.

13. **Risk analysis**: This section should focus on identification and assessment of project risks and how these are proposed to be mitigated. Risk analysis could inculed legar/contractual risks, environmental risks, revenue risks, project management risk, regulatory risks, etc.

14. **Evalution**: This section should focus on lessons learnt from evaluation of similar projects implemented in the past. Evaluation arrangements for the project, whether concurrent, mid term of post project should be spelt out. It may be noted that continuation of projects/schemes from one Plan period to another will not be permissible without an independent, in depth evaluation being undertaken.

15. **Success criteria**: Success criteria to assess whether the Development objectives have been achieved should be spelt out in measurable terms. Base-line data should be available against which success of the project will be assessed at the end of the project (impact assessment). Int this regard, it is essential that base-line surveys be undertaken in case of large, beneficiary-oriented projects.

Success criteria for each Deliverable/output of the project should also be specified in measurable terms to assess achievement against proximate goals.

16. **Financial and economic analysis**: Financial and economic analysis of the project may be undertaken where the financial returns are quantifiable. This analysis would generally be required for investment and infrastructure projects, but may not always be feasible for social sector projects where the benefits cannot be easily quantified.

17. **Sustainability**: Issues relating to sustainability, including stakeholder commitment, operation and maintenance of assets after project completion, and other related issues should be addressed in this section.

64

परिशिष्ट–~~ख~~

प्रत्येक योजना/परियोजना/अनावर्तक मद के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले व्योरे का प्रारुप–

1. प्रशासकीय विभाग का नाम –
2. अनुदान संख्या/लेखा शीर्षक –
3. योजना/परियोजना/अनावर्तक मद का संक्षिप्त विवरण, नाम, स्थान, उददेश्य एवं औचित्य–
4. क्या विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा चुकी है (यदि हां तो संलग्न करें) ?
5. परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित अवधि तथा परियोजना के विभिन्न चरणों के पूरा होने के सम्बन्ध में अनुमानित समय तालिका।
6. योजना/परियोजना/अनावर्तक मद की लागत–
7. व्यय की मद आयोजनागत (प्लान), आयोजनेत्तर (नान प्लान), केन्द्र सहायतित (प्रतिशत में)
   (i) यदि व्यय की मद नान प्लान है तो प्लान मद में न रखे जाने का औचित्य/कारण।
   (ii) क्या इस योजना/परियोजना/अनावर्तक मद को बाह्य सहायतित/केन्द्र सहायतित से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता था?
   (iii) क्या कार्य इस प्रकति का है कि इसे पी.पी.पी. व्यवस्था में संपादित किया जा सकता है, यदि हॉ तो राजकीय अनुदान के माध्यम से पोषित किये जाने का औचित्य?
   (iv क्या इसके लिये परिव्यय उपलब्ध है, यदि हॉ तो परिव्यय की धनराशि ?
   (V) क्या इसके लिए अपेक्षित बजट की व्यवस्था कर ली गई है यदि हॉ तो प्राविधान ?

8. **यदि प्रस्ताव प्लॉन मद का है तो पंचवर्षीय योजनावधि के प्रस्तावित व्यय का वर्षवार विभाजन –**

मद	कुल लागत	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
क– भूमि अध्यापन ख– निर्माण कार्य/विकास कार्य ग– अपेक्षित कर्मचारियों पर व्यय						
	योग					

* बिन्दु क, ख, तथा ग पर चैक लिस्ट आगे दी गई है।

642

- सूचना संगत वर्षों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष का उल्लेख करते हुए दी जाय।
- आयोजनेत्तर मद हेतु भी परियोजना की समाप्ति तक उपरोक्तानुसार वर्षवार व्यय का विवरण दिया जाना है।

(क) भूमि अध्यापन–

1– भूमि उपलब्धता की स्थिति ?

2– क्या चयनित निर्माण स्थल को विकसित करने में समस्याए तो नही हैं ?

3– भूमि का क्षेत्रफल ?

4– क्या चयनित भूमि उचित आकार की है?

5– क्या चयनित भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है?यदि नहीं हो तो इसके प्रार्प्त करने में कितना अनुमानित समय लगेगा? क्या इस विलम्ब से **cost/time over run** तो नहीं होगा? इस परिस्थिति से निपटने के लिए विभाग की क्या रणनीति है? यदि विलम्ब की स्थिति सम्भावित है तो परियोजना/योजना को दो चरणों में निष्पादित नहीं किया जा सकता है?

6– क्या विस्थापितों के पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ?

(ख) भवन निर्माण/विकास कार्य–

(1) विनिर्देशन (स्पेसीफिकेशन) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमन्यता के अनुसार है। — हॉ/नहीं

(2) सोएल (soil) टेस्टिंग कराई गई है एवं लोड बियरिंग कैपेसिटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। — हॉ/नहीं

(3) क्या निर्माण आगणन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमन्य पिलन्थ एरिया, अनुमन्य कार्यालय स्थान तथा अनुमन्य निर्धारित क्षेत्र के अनुसार बनाया गया है। — हॉ/नहीं

(4) क्या प्रस्ताव में आगणन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड/केन्द्र द्वारा निर्धारित मानक विशिष्टियों के आधार पर बनाये गये है? — हॉ/नहीं

(5) क्या प्रस्तावित कार्य एक इकाई के रुप में पूर्ण होना है? — हॉ/नहीं

(6) ले आउट प्लान समुचित स्थल निरीक्षण पर आधारित /अनुसार है। — हॉ/नहीं

(7) वास्तुशिल्पीय ढांचा तथा डिजाईन दक्ष तथा कम खर्चीली बनाई गई है। क्या डिजाइन बनाते समय पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्टियों को ध्यान में रखा गया है? डिजाइन पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यावर्णीय स्थिति तथा सुरुचिपूर्ण (aesthetic) भावना के अनुरुप है — हॉ/नहीं

(8) ले–आउट प्लान तथा बिल्डिंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। — हॉ/नहीं

(09) निर्माण/विकास कार्य के कार्यान्वन का शैड्यूल बनाया गया है। — हॉ/नही

(10) सी0बी0आर0आई0 तकनीक अपनाई गई है। — हॉ/नही

(11) भूकम्प अवरोधी तकनीक का प्रयोग किया गया है। — हॉ/नही

(12) रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्रोविजन किया गया है। — हॉ/नही

(13) क्या दीमक रोधी तथा अग्निशमन व्यवस्थाओं का नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार प्राविधान किया गया है? — हॉ/नही

(14) क्या भवनों के डिजाइन में विशेषतः विद्यालयो तथा अस्पतालों में विकलांगों का ध्यान रक्खा गया है? — हॉ/नही

643

(ग)– (i) अपेक्षित कार्मिक –

क्र0 सं0	विवरण	आवश्यकता का औचित्य	वर्ग	वेतनक्रम	प्रथम वर्ष संख्या धनराशि	द्वितीय वर्ष सं0 धनराशि	तृतीय वर्ष संख्या धनराशि	चतुर्थ वर्ष संख्या धनराशि	पंचम वर्ष संख्या धनराशि	योग धनराशि
					रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1.	नियुक्ति की प्रकृति अस्थाई या स्थाई									
2.	**Outsource/ Contract** पर लिये जाने वालेकर्मचारियों की संख्या यदि नहीं तो नही लिये जाने का औचित्य इस संबंध में औचित्य									
3.	आयोजनागत एवं आयोजनेतर पक्ष में पूर्व में नियोजित स्टाफ									
	योग									

(ii) सज्जा भंडार/मशीन/गाड़ियों इत्यादि के स्थूल ब्योरे–

मदें	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
(क) भारत में खरीदी जाने वाली (ख) आयात की जाने वाली						
योग						

(iii)विदेशी मुद्रा

मदें	देश जहां से आयात किया जायेगा	मुद्रा का नाम	धनराशि (रुपये में)	उपलब्धता सुनिश्चित है अथवा नहीं

(घ) योजना/परियोजना/अनावर्तक मद पर भविष्य (वर्षवार) मे होने वाला अनुमानित आवर्तक व्यय।

644

9. योजना से सम्भावित लाभ का आकलन (वित्तीय, सामाजिक एवं आर्थिक)।

10. पंचवर्षीय योजनावधि में योजना से सम्भावित राजस्व–

		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
		रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
	योग					

11– क्या प्रस्तावित परियोजना के अनुरुप कोई परियोजना पहले से चल रही है या चलकर समाप्त की जा चुकी है ? यदि हां तो उसका विवरण तथा प्राप्त लाभ एवं अनुभव (Impact assessment and lessons learnt)।

12– अभ्युक्ति यदि कोई हो–

अनुभाग..................

हस्ताक्षर......................

पत्रावली संख्या..........................

पदनाम..........................

645

सं0:–544/XXVII(1)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल 2016

विषयः– Service tax , WCT एवं अन्य टैक्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। निर्माण कार्यों के आगणनों में **Service tax , WCT** एवं अन्य टैक्स के प्राविधानों के निर्माण हेतु श्री दिलीप जावलकर प्रभारी सचिव "वित्त" की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति में श्री एल0एन0पन्त अपर सचिव (वित्त) एवं श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव (वित्त) तथा अनिल कुमार सिंघल, सहायक अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त) नामित किये गये।

समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर संस्तुति की गयी –

1. Service Tax – भारत सरकार के Notification No- 25/2012- service tax Dt. 20.06.2012 द्वारा राजकीय निर्माण कार्यों हेतु Service Tax exempts किया गया था। वर्तमान में भारत सरकार के Notification No- 6/2015- service tax Dt. 01.03.2015 द्वारा राजकीय निर्माण कार्यों में Service Tax का प्राविधान कर दिया गया है। जिसके कारण राजकीय निर्माण कार्यों में Service Tax की देयता बनी हुई है तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा Service Tax की प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही है। अतः Service Tax के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि "भारत सरकार द्वारा समय–2 पर जारी notifications के आधार पर निर्माण कार्यों के आगणनों में Service tax का प्राविधान किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा कुछ निर्माण कार्यों पर Service Tax exempts भी किया गया है। अतः सम्बन्धित प्र0वि0 का यह दायित्व होगा कि वह निर्माण कार्यों के आगणन में यह सुनिश्चित कर लें कि आगणन में प्राविधानित Service tax भारत सरकार के विभिन्न notifications/guide lines के अनुरूप लिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन कार्यों (पूर्व स्वीकृत कार्य) के आगणनों /MOU जिसमें Service tax की देयता का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है, में यदि भारत सरकार के notifications/guide lines के अनुसार Service tax का भुगतान किया जा रहा है अथवा Service tax का भुगतान किया जाना है तो Service tax हेतु वांछित अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।" लोक निर्माण

विभाग द्वारा schedule of rates जारी करते समय इस तथ्य की पुष्टि भी की जायेगी कि SOR में service tax का प्राविधान सम्मिलित नहीं किया गया है, ताकि आगणन में service tax का दोहरा प्राविधान न हो।

2. WCT/VAT (Value added tax)- आगणनों में प्राविधानित दरों में VAT/ sales tax सम्मिलित होने के कारण WCT आगणन में अलग से अनुमन्य नही होगा।

3. अन्य टैक्स/कर— अन्य प्रत्यक्ष कर contractor द्वारा वहन किये जाते है। अतः आगणन में किसी अन्य कर का प्राविधान अनुमन्य नही होगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

पत्रांकः– 544/XXVII(1)/2016 तद्दिनांक –19-04-2016

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त अपर सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(647)

संख्याः 111 /XXVii(7)50(39)-2015/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 09 जुलाई, 2015**

विषयः सरकारी भवनों के निर्माण हेतु शासकीय भूमि की अनुपलब्धता की दशा में निजी/गैर सरकारी भूमि के कय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 260/वि.अनु.–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य के एक सेवा विभाग (Service Dept.) द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा व सम्पूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए की जाती है, इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भवन जिसकी उस विभाग की आवश्यकता न हो, दूसरे सेवा विभाग को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित की जा सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होती है। वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि भूमि हस्तान्तरण के मामलों में प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय प्रशासकीय विभागों के सचिवों को राज्य के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कतिपय शर्तों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रदान किये गये थे।

2. सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन योजनाओं पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, और उनका कियान्वयन भूमि की अनुलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है, उन परियोजनाओं/भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (प्रशासकीय विभाग की भूमि को छोड़कर) एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांन्तरित करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 15 फरवरी, 2002 में निहित शर्तो के अधीन जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

3. कार्यालय आदेश संख्याः 260/वि.अनु.–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

Mewar

(648)

संख्याः /XXVii(7)50(39)-2015/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय भवन, माजरा, देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Mewar

649

संख्या: 746 /XXvii(7)50(64)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक: 07 ~~दिसम्बर, 2013~~ जनवरी, 2014

विषय:– निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत, सेवा के दौरन निशःक्त हुये कर्मचारियों के संबंध में की गई व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–311/नि0स0/अ0स0का0/2006 दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशक्त व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समान अवसर देने के लिये "THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT, 1995" प्रख्यापित किया है जिसकी धारा 47(1) के प्राविधान निम्न है:–

(1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा ।

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात उस पद के लिये जिसको वह धारण करता है,उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी अधिसंख्यक पद पर रखा जा सकेगा।

...2.

अतः उक्तानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) जो व्यक्ति सेवा में रहते हुये निःशक्त हो गया है उसे सेवा से हटाया नहीं जायेगा, तथा उसका अन्यत्र उपयोग करने की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) यदि ऐसा करना सम्भव न हो तब उस व्यक्ति को अधिवर्षता की आयु तक सेवा में बनाये रखा जायेगा, और वेतन दिया जायेगा।

(ग) सरकारी कार्य प्रभावित न हो इसके लिये उसे वित्त विभाग की सहमति से एक अधिसंख्यक पद सृजित करके सेवा में बनाये रखा जायेगा।

(घ) अधिनियम में उल्लिखित विकलांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत के संबंध में चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

संलग्न- अधिनियम की प्रति।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 746 (1)/XXVII(7)5(64) तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

65

महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या 742/XXVII (7)/50(80)/2013
देहरादून :: दिनांक 09 अक्टूबर, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड सचिवालय में शासन–स्तर पर विद्यमान कार्य–बंटवारा के अनुसार विभिन्न विभागों / अनुभागों के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित हैं और तद्नुसार कतिपय विभाग / अनुभाग शासन–स्तर पर "परामर्शदात्री" विभाग/ अनुभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जिनमें वित्त विभाग भी है । इस व्यवस्था में सामान्यतया वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 में कार्य–बंटवारा के अनुसार वेतनमान पुनरीक्षण/उच्चीकरण/संशोधन, वेतन–विसंगति, वेतन–निर्धारण/संरक्षण, सेवानिवृत्ति एवं तद् सम्बन्धी लाभ, बाध्य प्रतीक्षा काल और अवकाश आदि सेवा सम्बन्धी विभिन्न विषयों में सुसंगत मूल नियमों/सहायक नियमों के भी आलोक में राज्य स्तर पर "सामान्य नीति–निर्धारण" के अन्तर्गत व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरण व्यवहृत होते हैं तथा राज्य में लागू की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सुसंगत नियमों / शासनादेशों में निहित प्रावधानों / शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन कार्यान्वयन की दिशा में प्रकरण–विशेष प्रशासनिक विभागों / विभागाध्यक्षों / अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा, उन्हें प्रतिनिधानित प्राधिकार **(Delegated power)** की सीमा तक, यथास्थिति भली–भाँति परीक्षणोपरान्त सम्यक निर्णय/ आदेश के साथ निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया है। **सुसंगत वित्तीय नियमों/ अन्य नियमों /शासनादेशों में विषयवार (यथास्थिति) अधिकारों का प्रतिनिधायन विद्यमान है।**

2– यदा–कदा इस विभाग/ अनुभाग से सम्बन्धित नियमों/ शासनादेशों में प्रशासनिक विभाग/ अधीनस्थ कार्यालय में किसी स्थिति–विशेष / प्रकरण–विशेष में किसी जिज्ञासा–विशेष/ बिन्दु–विशेष पर प्रशासनिक विभाग के स्तर/ माध्यम से **संदर्भ सहित सुस्पष्ट एवं स्वतःपूर्ण वस्तुस्थिति** के उल्लेख के साथ **विभागीय अभिमत–प्रस्ताव के आलोक** में यथा अपेक्षा मार्गदर्शन /सहमति हेतु जो संदर्भ प्राप्त होते हैं, उनमें **सम्यक परीक्षणोपरान्त मार्गदर्शन–सहमति** की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था है।

3– सम्प्रति यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रायः सुसंगत नियमों/ शासनादेशों में सुस्पष्ट व्यवस्था /प्रावधान/ प्रतिनिधायन विद्यमान होने के बावजूद भी प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्मिकवार स्थापना / अधिष्ठान विषयक वैयक्तिक प्रकरण, जैसे– प्रथम नियुक्ति पर वेतन–निर्धारण/ संरक्षण, पूर्व की सेवा को जोड़े जाने, सेलेक्शन ग्रेड/ए0सी0पी0 की स्वीकृति–वेतन निर्धारण एवं पदोन्नति पर वेतन–निर्धारण, अवकाश आदि के सामान्य मामले भी "रूटीन" प्रक्रिया में इस विभाग/ अनुभाग से मार्गदर्शन / सहमति के आशय से बड़ी संख्या में संदर्भित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार से, जो प्रकरण किसी नियम/ शासनादेश की व्यवस्था से आच्छादित ही नहीं हैं अर्थात् प्रथमदृष्टया ही स्वीकार्य प्रतीत नहीं होते हैं और विभागीय स्तर पर ही निस्तारित किये जा सकते हैं, उन्हें भी विभागों द्वारा भली–भाँति परीक्षण किये बिना और विभागीय अभिमत दिये बिना ही अग्रसारित किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक रूप में कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है।

4– इसके अतिरिक्त, विभागीय कर्मचारियों के संगठनों, सेवारत/ सेवानिवृत्त विभागीय कार्मिकों / अधीनस्थ कार्यालयों–विभागाध्यक्षों में विभिन्न प्रधिकारियों द्वारा भी उक्तानुसार ही प्रकरण सीधे इस विभाग/अनुभाग को संदर्भित किये जाने की सामान्यतौर पर "रूटीन" प्रक्रिया बन गयी है, जबकि उनका सम्यक निस्तारण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही, विभागीय अभिमत/प्रस्ताव के साथ यथावश्यकता सम्बधिंत परामर्शदात्री विभाग /अनुभाग से मार्गदर्शन/सहमति प्राप्त करके किया जाना चाहिये।

5– यही नहीं, प्रशासनिक विभाग द्वारा जो प्रकरण संदर्भित किये जा रहे हैं, उनमें सुसंगत नियमों / शासनादेशों में निहित प्रावधानों / प्रतिनिधायन के आलोक में भली–भांति परीक्षण किये बिना ही अथवा सुसंगत नियम/ शासनादेश का कोई उल्लेख /संदर्भ किये बिना प्रायः विचाराधीन पत्र/ संदर्भ का ही यथावत् प्रतिलिपिकरण कर दिया जाता है और विभागीय स्तर पर परीक्षण–टिप्पणी के साथ विभागीय अभिमत /प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। यह स्थिति भी सही ढंग से कार्य–हित में नहीं है।

6– उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालयों में विचाराधीन /निर्णीत और अवमानना याचिकाओं के अन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकरणों में भी यथा समय सुसंगत,

नियमों/ शासनादेशों और शासन की स्वस्थ रीति–नीति / सामान्य कार्मिक नीति के परिप्रेक्ष्य में सम्यक प्रतिवाद/अनुपालन /अपील (यथास्थिति) हेतु तद्सम्बंधित अन्य परामर्शदात्री विभागों (कार्मिक/न्याय विभाग) से भी यथा अपेक्षित बहुमूल्य परामर्श प्राप्त करते हुये प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सही एवं त्वरित ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने के बजाय जब उच्चाधिकारियों की मा0 न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की तिथि अथवा अवमानना की स्थिति सन्निकट होती है, उस विषम स्थिति में इस विभाग/ अनुभाग को संदर्भित प्रकरणों में भली–भांति परीक्षण हेतु पर्याप्त समय दिये बिना ही, वस्तुस्थिति की आधी–अधूरी जानकारी के आधार पर प्रायः औपचारिकतावश मार्गदर्शन / सहमति की अपेक्षा की जाती है, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है।

7– ऐसी परिस्थितियों में, जब कार्य–आवंटन के अनुसार और उच्चाधिकारियों के विशिष्ट निर्देशों से समय–समय पर सौंपे जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के फलस्वरूप इस विभाग/अनुभाग में पूर्व से ही कहीं अधिक कार्य–भार **(Work-Load)** है और तदनुसार अनुभवी "स्टॉफ" भी पर्याप्त संख्या में कार्य–मानक के अनुसार उपलब्ध नहीं है तथा उपर्युक्तानुसार प्रशासनिक विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों से सामान्य रूप में व्यक्तिगत प्रकरण / अपरिपक्व प्रस्ताव बिना भली–भांति परीक्षण / अभिमत के बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हों, तो कार्य–आवंटन के अन्तर्गत नीति विषयक / सामान्य व्यवस्था सम्बन्धी मूल कर्तव्यों एवं दायित्वों के सही और त्वरित निर्वहन, जिसके लिये पर्याप्त समय दे पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, में अपेक्षित गति और गुणवत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक एवं विचारणीय स्थिति है।

8– अतएव उक्तानुसार अनावश्यक रूप से प्रायः संदर्भित किये जा रहे प्रकरणों के फलस्वरूप इस विभाग / अनुभाग में अनुचित रूप से बढ़ रहे कार्य–भार और सामान्य नीति–निर्धारण एवं परामर्शी के रूप में अपेक्षित मूल भूमिका के निर्वहन में स्वाभाविक रूप से आने वाले प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक विभाग कृपया यह सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें कि सुसंगत नियमों/ शासनादेशों में विद्यमान व्यवस्था /प्रावधान / प्रतिनिधायन की सीमा तक सामान्य प्रकरण सक्षम स्तर से ही यथा प्रकिया निस्तारित किये जॉय और यदि नियमों / शासनादेशों में किसी बिन्दु पर कोई जिज्ञासा की स्थिति हो, तो अपेक्षित मार्गदर्शन हेतु अथवा वित्त विभाग की सहमति अपरिहार्य हो, तो उसी दशा में स्वतःपूर्ण वस्तुस्थिति एवं विभागीय अभिमत /सुविचारित प्रस्ताव के साथ प्रकरण संदर्भित किया जाय,

654

अन्यथा की स्थिति में प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होना स्वाभाविक है, जो उचित नहीं होगा।

9— इसी प्रकार मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित विशिष्ट प्रकरण भी विभागीय स्तर पर त्वरित ढंग से परीक्षणोपरान्त स्वतःपूर्ण वस्तुस्थिति के साथ विभागीय अभिमत /सुविचारित प्रस्ताव सहित तद्सम्बंधित अन्य परामर्शदात्री विभागों (कार्मिक/न्याय विभाग) के नीतिगत/विधि सम्मत बहुमूल्य परामर्श के आलोक में वित्त विभाग से यथा अपेक्षित परामर्श / सहमति हेतु समय से प्रस्तुत किये जाने चाहिये, ताकि वित्त विभाग द्वारा शासन–स्तर पर "परामर्शदात्री विभाग" की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपेक्षित गति एवं गुणवत्ता के साथ यथा समय सही ढंग से किया जा सके।

10— कृपया कार्य–हित में विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 742 (1)/XXVII (7)/50 (80)/2013, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

655

add in Index

संख्याः-477/xxvii(1)/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2

वित्त अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2011

विषयः- कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः- 54/xxvii(1)/2005 दिनांकः 15 जनवरी, 2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्य नियमावली, 1975 (Rules of Business) के नियम-4(2) के उप नियम क,ख,ग, तथा घ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। नियम 4 (2) की व्यवस्था निम्नवत् हैः-

4(2)- जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने या निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समावृत न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा-

(क) जिससे राजस्व का परित्याग सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो,

(ख) जिससे भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अभ्यर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई सुखाचार या विशेषाधिकारी सन्निहित हो,

(ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ते या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित हो,

(घ) जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहे उसमें व्यय सन्निहित हो या नहीं,

स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण भी जिनमें व्यय सन्निहित न हो परन्तु अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

कार्य नियमावली की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा पदों के सृजन, वेतनमान संशोधन/उच्चीकरण तथा राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि के अग्रिम आहरण तथा अन्य प्रकरणों जिनमें वित्तीय उपाशय निहित होता है पर वित्त विभाग के परामर्श एवं पूर्व सहमति के बिना माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। इससे जहां एक ओर कार्य नियमावली में उल्लिखित व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन लागू करने में कठिनाई होती है। उच्च स्तर से अनुमोदन के बाद यदि प्रस्ताव के औचित्य पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रकिया/नियम के परिवेश में सहमति दिया जाना सम्भव नहीं होता तब वित्त विभाग के समक्ष असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः कार्य नियमावली के नियम 4(2) की व्यवस्थाओं के अनुरूप वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण जो अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श अनिवार्य रूप से पहले प्राप्त किया जाये।

भविष्य में उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों का अनुपालन न किये जाने कि स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका तद्नुसार इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या:– 477 /xxvii(1)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 वित्त/151–30–8–2011–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।